न्यायालय अतिरिक्त ज़िला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/103/2018	25–06–2018	30–01–2019

01– सुभान खां पुत्र जहाज खां जाति मेव निवासी ग्राम चपराड़ा तहसील रामगढ़, जिला अलवर राज०

अपीलाण्ट

बनाम

01– नायब तहसीलदार रामगढ़, जिला अलवर

रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार रामगढ
दिनांक 22.02.2018 अन्तर्गत धारा 91 भू०
राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 58/2018

उपस्थितः–

01–श्री रहमत खां –वकील अपीलाण्ट

–:निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार रामगढ के आदेश दिनांक 22.02.2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम चपराड़ा की सरकारी बंजड़ 2 भूमि के आराजी खसरा नम्बर 58/0.52 है0 में से 0.26 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम चपराड़ा की सरकारी बंजड़ 2 भूमि के आराजी खसरा नम्बर 58/0.52 है0 में से 0.26 है0 पर अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 16.01.2018 को पटवारी द्वारा करने पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने तीन माह का सिविल कारावास व लगान से दण्डित किया। अपीलांट को पश्चातवर्ति अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 22.02.2018 के विरूद्ध दिनांक 25.06.2018 को पेश किया। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमनें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 26.06.2018 का भी अवलोकन किया जिसमें अपीलार्थी द्वारा कब्जा छोडना बताया गया है तथा भविष्य मे अतिक्रमण नहीं करने का निवेदन किया है। रिपोर्ट नायब तहसीलदार रामगढ द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 28.06.2018 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलार्थी का अतिक्रमण नहीं होना बताया है। पटवारी हल्का के बयान भी छपे–छपाये साइक्लोस्टाईल प्राफॉर्मा पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कर दर्ज किये गये है। पटवारी हल्का के मौका पर्चा पर कब्जा होना नहीं दर्शाया गया है। अतः अपील अपीलांट नायब तहसीलदार रामगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि विवादित आराजी की जांच संबंधित गिरदावर से करावें और अगर विवादित आराजी पर अपीलांट का अतिक्रमण पाया जाता है तो उसके विरूद्ध एल आर एक्ट के तहत धारा 91(6) के तहत कार्यवाही की जावे। वकील अपीलांट को हिदायत दी जाती है कि वो दिनांक 27.02.2019 को तहसीलदार रामगढ़ के न्यायालय में उपस्थित होवें। नियत दिनांक को उपस्थित नहीं होने पर अपीलांट की तामील मानी जावेगी।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 30–01–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ0पी0जैन)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज.) ALWAR (RAJ.)